(दिल्ली राजपत्र भाग – 4 असाधारण में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
(शिक्षा विभाग) पुराना सचिवालय, दिल्ली–110 054.

संख्या एफ.15(172)/डी.ई./एक्ट/2010/7792-7806 दिनांक 28/02/2012.

अधिसूचना

एफ.15(172)/डी.ई./एक्ट/2010/ – दिल्ली स्कूल शिक्षा नियमावली, 1973 के नियम 43 के साथ पठित दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1973 (1973 का 18) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल दिनांक 7.1.2011 की अधिसूचना सं. 15(172)/डी.ई./एक्ट/2010/69 द्वारा प्रकाशित दिल्ली स्कूल शिक्षा (आर्थिक रूप से कमजोर एवं लाभहीन वर्ग के विद्यार्थियों की निःशुल्क सीटें) आदेश, 2011 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:–

1. **संक्षिप्त शीर्षक व प्रारम्भ :–**

(1) यह आदेश दिल्ली स्कूल शिक्षा (आर्थिक रूप से कमजोर एवं लाभहीन वर्ग के विद्यार्थियों का निःशुल्क सीटें) संशोधन आदेश, 2012 कहा जाएगा।
(2) यह तत्काल प्रभावी होगा ।

2. **खंड 4 में संशोधन :–**
दिल्ली स्कूल शिक्षा (आर्थिक रूप से कमजोर एवं लाभहीन वर्ग के विद्यार्थियों का निःशुल्क सीटें) आदेश 2011 के खंड 4 में उपखण्ड (ख) के लिये निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

"(ख) प्रविष्टि स्तर अर्थात् नर्सरी या कक्षा 1 में, जैसी भी स्थिति हो, सीटों की संख्या पिछले तीन शिक्षा सत्रों में प्रविष्टि कक्षा की सीटों की उच्चतम संख्या से कम नहीं होगी ।"

दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से
और उनके नाम पर

(सुरेश गुप्ता)
विशेष सचिव शिक्षा (प्रशासन)

संख्या एफ.15(172)/डी.ई./एक्ट/2010/7792-7806 दिनांक 28/02/2012.

प्रतिलिपि निम्न को अग्रसारित :–

1. सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. प्रधान सचिव, उपराज्यपाल, दिल्ली।

3. माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, दिल्ली ।
4. सचिव, शिक्षा मंत्री, दिल्ली सरकार।
5. विशेष कार्याधिकारी, मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली।
6. सचिव (शिक्षा), दिल्ली सरकार, दिल्ली।
7. निदेशक (शिक्षा), दिल्ली सरकार, दिल्ली।
8. निदेशक (शिक्षा), दिल्ली नगर निगम, दिल्ली।
9. निदेशक (शिक्षा), नई दिल्ली नगर पालिका परिषद्, नई दिल्ली।
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दिल्ली छावनी बोर्ड, दिल्ली।
11. निदेशक, सूचना प्रचार निदेशालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली।
12. सभी अतिरिक्त निदेशक/क्षेत्रीय शिक्षा निदेशक/संयुक्त निदेशक शिक्षा/उप–निदेशक शिक्षा/सहायक शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय, दिल्ली सरकार।
13. सभी शाखा प्रभारी, शिक्षा निदेशालय, दिल्ली सरकार।
14. कार्यालय अधीक्षक (सूचना प्रौद्योगिकी), सरकारी वेबसाइट पर इस परिपत्र को अपलोड करने के निदेश सहित।
15. गार्ड फाईल।

(सुरेश गुप्ता)
विशेष सचिव शिक्षा (प्रशासन)